न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2630–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–6–2015 पारित द्वारा तहसीलदार सारंगपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 7/अ–12/2014–15.

मांगीलाल पुत्र श्री देवचंद हरिजन
निवासी ग्राम काचरिया भाई, तहसील
सारंगपुर जिला राजगढ़ म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. हरीनारायण पुत्र श्री जगन्नाथ कुल्मी
   निवासी ग्राम काचरिया भाई, तहसील
   सारंगपुर जिला राजगढ़ म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक आवेदक
श्री रमेश सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदक कं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सारंगपुर जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 हरिनारायण ने तहसीलदार सारंगपुर के समक्ष अपनी कृषि भूमि सर्वे कमांक 597 रकबा 0.278 हेक्टर ग्राम काचरिया के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर प्रकरण कमांक 7/अ–12/2014–15 दिया किया गया तथा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 6–6–15 को सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने

आदेश दिनांक 08–6–2015 के द्वारा सीमांकन स्वीकृत किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि राजस्व निरीक्षक ने मेड़ को स्थायी सीमा चिन्ह मानकर सीमांकन किया जबकि सीमांकन स्थाई सीमा चिन्ह से ही किया जाने का प्रावधान है। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया है। यह भी तर्क दिया कि सीमांकन के पूर्व आवेदक को सूचना नहीं दी गई जबकि आवेदक सीमावर्ती कृषक है तथा सीमांकन में आवेदक का अवैध कब्जा बता दिया जबकि आवेदक को 30X30 का पट्टा 596/2 का ग्राम पंचायत ने दिया है। अतः बिना सीमांकन नियमों के किये गये सीमांकन आदेश को निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कं0 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि सीमांकन पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि पश्चिम की ओर से 0.010 है0 पर मांगीलाल का अवैध कब्जा पाया गया। यह भी तर्क दिया कि कि आवेदक का 30X30 का पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत की ओर से मकान बनाने के लिए मिला था उसकी आड़ में आवेदक ने भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। पंचानामे में मकान बनाकर अतिकमण किये जाने का लेख नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक को ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लेआउट पास किया जाता है तथा प्लाटों को नम्बर दिया जाकर नक्शा तैयार किया जाता है जबकि आवेदक के पट्टे में कोई स्पष्ट नम्बर नहीं है। सर्वे कमांक 596/2 बहुत बड़ा सर्वे नम्बर है। वास्तव में आवेदक का मकान तोड़ता नहीं चाहते हैं परन्तु मकान के अलावा उसकी भूमि पर कब्जा किया है वह गलत है और सीमांकन में इस बात की पुष्टि हुई है। आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है क्योंकि आवेदक को प्रदाय प्लाट अनावेदक की भूमि की सीमा से लगा यह स्पष्ट नहीं किया है। जहां तक स्थाई सीमा चिन्ह से सीमांकन किये जाने का प्रश्न है मौके पर स्थाई

सीमा चिन्ह मौजूद नहीं से पुरानी स्थाई मेढ़ों से सीमांकन किया गया है, जो उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा उसे सर्वे कमांक 596/2 में 30X30 का पट्टा ग्राम पंचायत दिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उसके द्वारा ग्राम पंचायत से स्वीकृति अभिन्यास (लेआउट) प्रस्तुत नहीं किया है। न ही प्लाट आबंटन का पट्टा दिया गया है। प्रमाण पत्र पर भी आवेदक को आवंटित प्लाट नम्बर भी नहीं है। इससे यह प्रकट नहीं होता है कि आवेदक को 596/2 में पट्टा दिया गया है वह प्लाट अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 597 से लगी हुई सीमावर्ती है क्योंकि सर्वे कमांक 596/2 बहुत बड़ा सर्वे नम्बर है और उस पर आवास योजना का लेआउट स्वीकृत नहीं किया एवं नक्शा भी नहीं है। उक्त स्थिति में अनावेदक द्वारा कराए गए सीमांकन में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। आवेदक को यदि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पट्टा दिया गया है तो वह अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वंतत्र है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा यदि आवेदक विधिवत सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें तो तहसीलदार नियमानुसार आवेदक के स्वामित्व की भूमि का सीमांकन करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर